

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
37/2013 बअनवान येन विहे बनान जबर सिदे

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामील  
में जारी हुए

10.05.24

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली को अवलोकन करने पर पता  
दि पूर्व में रेस्यो. को सम्मन मार्फत. लहमीलदार  
व जरिए रजिस्टर्ड ए.पी. इल न्यायालय द्वारा  
फ्रेविल दिह गये जो अदम वामिल प्राप्त  
हुए।

अधि. अपीलान्ट के प्रार्थना - पत्र  
अहर्गर आदेश 05 नियम 20 सपडिह धारा  
151 CPC को पेश किया जो स्वीकार किया  
जाकर ललबी से शेफ रेस्योडेण्ट्स की  
ललबी हेड अखबार में साया इखाने के  
आदेश दिह जाते हैं।

अधि. अपीलान्ट डिप्टी सी छ  
राज्य स्तरीय समाचार पत्र यया डैनित भाखर  
राजस्थान पत्रिका / डैनित नवज्योति में साया हेड  
सम्मन पेश करे, पेश होने पर जारी हो व  
अधि. अपीलान्ट स्थानीय हरीश्वर पेशी पर  
अखबार की मूल प्रति न्यायालय में पेश करे।  
पत्रावली दि. 09.05.2024 को पेश हो।



जिला कलेक्टर, बाली

29.05.2024

पत्रावली पेश हुई।

प्रकरण काफी लम्बे समय से रेस्यो.  
की ललबी हेड विचाराधीन है। अधिवक्ता अपीलान्ट  
को आदेशित दि. 15.05.24 द्वारा ललबी से शेफ  
रेस्यो. की ललबी हेड सम्मन राज्य स्तरीय समाचार  
पत्र में साया इखाने आगामी हरीश्वर पेशी पर  
समाचार पत्र की मूल प्रति न्यायालय में आवश्यक  
रूप से पेश करने बाबत निर्देशित किया था। इसके  
उपरान्त श्री अधि. अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेशित  
दि. 29.05.24 की पालना नहीं की गई प्रकृति आज उनके  
द्वारा सम्मनपेशी प्रकरण 11 वर्ष पुराना होने से *old case*  
Cases की श्रेणी में आता है) व अधिवक्ता अपीलान्ट  
द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने से  
अधील - अपीलान्टस अदम वामिल में खारिज की जाती  
है।



जिला कलेक्टर, बाली